भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

**तारांकित प्रश्न सं. 152*

03 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी आवासों की कमी के संबंध में अद्यतन आंकड़े

152* श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि नीति आयोग तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2025 में गठित समिति ने भारत में शहरी आवास की कमी के संबंध में विस्तृत और अद्यतन आधिकारिक आंकड़ों की अनुपलब्धता को नोट करते हुए शहरी आवास में 5-7 करोड़ घरों की कमी का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस), निम्न आय समूहों (एलआईजी), प्रवासी श्रमिकों और अर्ध-शहरी परिवारों सहित शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासों की कमी के संबंध में एक अद्यतन आधिकारिक डाटाबेस बनाने का विचार रखती है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत एक करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य आवासों की कमी के नवीनतम अनुमानों पर आधारित है; और

(घ) किफायती आवास योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने, लक्ष्य निर्धारित करने और आवास प्रदायगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"शहरी आवास की कमी के संबंध में अद्यतन आंकड़े" के विषय में दिनांक 03.08.2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 152* (दूसरा स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): नीति आयोग ने किफायती आवास को बढ़ावा देने एवं उसे सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक विस्तृत दृष्टिकोण-पत्र तैयार किया है तथा दिसंबर, 2025 में 'किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट नीति आयोग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MOHUA), वित्तीय सेवा विभाग (DFS) तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से गठित समिति द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट किफायती आवास को बढ़ावा देने में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं के समाधान के लिए सुधारोन्मुखी कार्य-योजना प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट https://pmay-urban.gov.in/bookpublication/A_Comprehensive_Framework_to_Promote_Affordable_Housing.pdf वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

समिति ने भारत में शहरी आवास की कमी का कोई अनुमान नहीं लगाया है। तथापि, उसने शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग/कमी का अनुमान लगाने वाले विभिन्न अध्ययनों/आलेखों का उल्लेख किया है। परिभाषा, कार्य-क्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा संदर्भ अवधि में भिन्नता के कारण इन अनुमानों में व्यापक अंतर है, जिससे उनकी तुलना करना कठिन हो जाता है। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत में किफायती आवास संबंधी व्यापक एवं अद्यतन आधिकारिक आंकड़ों का अभाव है।

(ख): 'भूमि' तथा 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), प्रवासी श्रमिकों तथा अर्द्ध-शहरी परिवारों सहित नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आती हैं। बेघर व्यक्तियों, आवासों की उपलब्धता तथा उनकी गुणवत्ता संबंधी आंकड़े नियमित जनगणना के दौरान संकलित किए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में कुल 9,38,348 व्यक्ति बेघर थे तथा कुल शहरी जनसंख्या का 17.4 प्रतिशत स्लम बस्तियों में रह रहे थे।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) तथा पीएमएवाई-यू 2.0 "सबके लिए आवास" मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग-आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में मांग का आकलन करते हैं तथा पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना शहरी गरीबों की

आवास संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करें तथा प्रामाणिक आंकड़ों का रख-रखाव हो, मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत एक एकीकृत वेब-पोर्टल (यूडब्ल्यूपी) विकसित किया है, जो https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध है।
(ग): पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव तथा हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(घ): एकीकृत वेब-पोर्टल (यूडब्ल्यूपी) पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों के सत्यापन तथा योजना की निगरानी में सहायता करता है। यह पोर्टल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, सत्यापन, जियो-टैगिंग, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, लाभार्थियों की सूची तैयार करने, केंद्रीय सहायता जारी करने एवं उसके उपयोग तथा योजना से संबंधित अन्य गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार, यह पोर्टल योजना में पारदर्शिता, दक्षता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

इसके अतिरिक्त, योजना में आय के आधार पर लाभार्थियों की श्रेणियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं, जिनमें विभिन्न पीएमएवाई-यू 2.0 घटकों के अंतर्गत लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तथा मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) शामिल हैं। पात्रता की शर्तों में यह भी शामिल है कि लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

*****